

अनुदान संख्या 7 - उर्वरक विभाग
GRANT No. 7-DEPARTMENT OF FERTILISERS

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत-	Voted-			
मूल	Original	53604,46,00		
पूरक	Supplementary	11000,00,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year	64604,46,00	64053,90,30	-550,55,70
				548,73,76
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत-	Voted-	196,04,00	195,99,00	-5,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			5,00

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)

(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"			
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services			
मू.	O.	1722.00		
पु.	R.	-68.80		
			1653.20	1606.93
				-46.27
मुख्य शीर्ष "2401"	Major Head "2401"			
फसल कृषि कर्म	Crop Husbandry			
मू.	O.	4380050.00		
पू.	S.	600000.00		
पु.	R.	-334714.00		
			4645336.00	4645204.39
				-131.61

शीर्ष मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Head Major Head "2852" Industries		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत-
			Total grant	Actual expenditure	Saving-
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मू.	O.	978672.00	1758583.04	1758578.98	-4.06
पू.	S.	500000.00			
पु.	R.	279911.04			

(I) 2.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.2.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - उर्वरक विभाग" के अंतर्गत 115.07 लाख रु. की बचत (1722.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कर्मचारियों के लिए आवास किराए पर लिए जाने के प्रस्ताव के मूर्तरूप न लेने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Fertilizers" - saving of Rs.115.07 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1722.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-materialization of proposal to hire accommodation for the staff and economy measures.

(III) मुख्य शीर्ष "2401" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(III) Under Major Head "2401" - savings occurred under the following heads:-

(का) "खाद और उर्वरक - स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरकों की रियायती बिक्री के लिए अदायगी" - 80000.00 लाख रु. की बचत (1680000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक सहायता के दावे कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Manures and Fertilizers - Payment for concessional sale of Indigenous decontrolled fertilizers" - saving of Rs.80000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1680000.00 lakhs) was due to receipt of less number of subsidy claims.

(खा) "उर्वरकों का आयात" - यूरिया का आयात" - 254845.61 लाख रु. की बचत (954844.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) यूरिया का कम आयात किए जाने, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया के मूल्य कम होने और अनंतिम विनिमय दरों में परिवर्तन होने के कारण हुई।

(B) "Import of Fertilizers - Import of Urea" - saving of Rs.254845.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.954844.00 lakhs) was due to import of less urea, softening of urea prices in the international market and variation in tentative exchange rates.

(IV) उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत 122.42 लाख रु. की बचत हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत और 31 प्रतिशत थी।

(IV) Under two heads savings of Rs.122.42 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs and constituting 25 percent and 31 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (280000.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसम्बर, 2009 में 150000.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय और मुख्य शीर्ष "2852" - "उर्वरक उद्योग - उर्वरक आर्थिक सहायता - उर्वरक प्रतिधारण कीमत स्कीम के अधीन अदायगी" के अंतर्गत अनुदानों की पूरक मांग के अनुबंध द्वारा संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआ:-

2. The above savings were partly (Rs.280000.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.150000.00 lakhs in December, 2009 and vide Annexure to Supplementary Demand for Grants under Major Head "2852" - "Fertilizer Industries - Fertilizer Subsidy - Payment under Fertilizers Retention Price Scheme".

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष Head			
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas		
मू.	O. 6499.00
पु.	R. -6499.00
मुख्य शीर्ष "6855" उर्वरक उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6855" Loans for Fertilizer Industries		
मू.	O. 13104.00	19599.00	19599.00
पु.	R. 6495.00		..

(I) 6503.00 लाख रु. का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से 6499.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.6503.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these Rs.6499.00 lakhs alone accounted for under Major Head "6552" - "Loans to Public Sector and other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizer Corporation Ltd." - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "6855" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गई - 6498.00 लाख रु. का अधिक व्यय (2.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "6552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

4. The above savings were partly offset by excess under Major Head "6855" - "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Brahmaputra Valley Fertilizers Corporation Ltd." - excess of Rs.6498.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "6552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.
